क्रम संख्या–137(घ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 610/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 25, सन् 2005 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 25, सन् 2005)

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधन।

धारा 143 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, "(इस धारा को छोड़कर)" कोष्ठक एवं शब्दों के स्थान पर "[इस धारा और उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 जो 15–01–2004 से प्रभावी है, द्वारा किये गये उपबन्धों को छोड़कर]" शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।

धारा 169 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (3) में "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगी" शब्दों के स्थान पर "लिखित, दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 171 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात :–

"(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार, उपधारा(1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं, अर्थात :–

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसारः

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, तो मिलता;

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहिता पुत्री;

(घ) विवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहिता बहिन, जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी पिता का पुत्र हो जिसका मृतक पुत्र था;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पितामही और पितामह;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहिता बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जब उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ढ) नानी का पुत्र;

(ण) पितामह का पौत्र।"

आज्ञा से,
यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।